

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-03042021-226338
SG-DL-E-03042021-226338

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/ चैत्र 10, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 391
No. 114]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/ CHAITRA 10, 1943	[N. C. T. D. No. 391

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

foÜk ¼व्यय-IV½ foHkkx

vf/kl ipuk

दिल्ली, 31 मार्च, 2021

l a 13@2020&jkT; dj

l aQk- 3¼88½@foÜk ¼व्यय&IV½@2020&21@Mh, l &IV@310.&राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 70/2019-राज्य कर, तारीख 28 अगस्त, 2020, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं.फा. 3(33)/वित्त (राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/64, तारीख 28 अगस्त, 2020 को प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन से भिन्न जो उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (4क) में विनिर्दिष्ट हैं, को एक रजिस्ट्रीकृत वर्ग के व्यक्ति के रूप में अधिसूचित करती है,

जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की प्रदाय के संबंध में उक्त नियमों के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनानुसार बीजक और अन्य विहित दस्तावेज तैयार करेंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st March, 2021

No. 13/2020– State Tax

No. F. 3(88)/Fin(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/310.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred as said rules), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance, Revenue-I No. 70/2019 – State Tax, dated the 28th August, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part-IV, vide number F. 3(33)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/64, dated the 28th August, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies registered person, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of the said rules, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents, in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

2. This notification shall come into force from the 1st October, 2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)